न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/6012/2004/जयपुर

1.श्रीमती स्वरूप कंवर बेबा ठाकुर रघुनाथ सिंह

2. श्रीमती तेज कंवर पुत्री ठाकुर रघुनाथ सिंह जी धर्मपत्नी अर्जुन सिंह

3. प्रताप सिंह पुत्र ठा.रघुनाथ सिंह

4. मान सिंह पुत्र ठा.रघुनाथ सिंह

5. गजेन्द्र सिंह पुत्र ठा.रघुनाथ सिंह

6. राजेन्द्र सिंह पुत्र ठा.रघुनाथ सिंह

7. पुष्पा कंवर 8. रजनी प्रभा पुत्रियां ठा.रघुनाथ सिंह समस्त जाति राजपूतान निवासीगण गुढा बेरीसाल सिंह तहसील दूदू जिला जयपुर

9. मु.सरोज कंवर बेबा गिरधारी सिंह

10. नरेन्द्र कंवर 11.किरण कंवर 12. प्रवीण कंवर

13. ज्ञान कंवर 14.मानकंवर पुत्रियां श्री गिरधारी सिंह

15 मदन सिंह 16. विक्रम सिंह 17.गिरिराज सिंह

18. बृजराज सिंह पुत्रान श्री गिरधारी सिंह

19. आनन्द कंवर 20.मंगेज कंवर 21.नवल कंवर

22. सौभाग्य कंवर पुत्रियां ठाकुर चन्द्र सिंह समस्त जाति राजपूतान निवासीगण गुढा बेरीसाल सिंह तहसील दूदू जिला जयपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. ग्राम पंचायत साली जरिये सरपंच तहसील दूदू जिला जयपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मुकेश शर्मा अध्यक्ष
श्री सतीश चन्द्र गोंदारा सदस्य

उपस्थित

श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्रीमती पूनम माथुर अतिरिक्त राज. अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 31.7.2019

1. यह अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 5–10–2004 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर के न्यायालय में अपीलार्थी संख्या 1 के पति ठाकुर रघुनाथ सिंह एवं सरोजकंवर के पति श्री गिरधारी सिंह एवं अपीलार्थी संख्या 19 लगायत 22 एवं गोविन्द सिंह पुत्र ठाकुर चन्द्र सिंह ने वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत एक वाद अधिनियम की धारा 88 एवं 183 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी पक्ष की ओर से जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर कुल 6 तनकीयात कायम की गई और दिनांक 21–5–96को तीन अतिरिक्त तनकीयात कायम की गई। बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी दूदू ने अपने निर्णय दिनांक 29–11–02 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 5–10–04से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि उपखण्ड अधिकारी दूदू ने जो अतिरिक्त प्रिमिलरी इश्यू दिनांक 21-5-96 को कायम किये थे उन्हीं पर उनके द्वारा बहस सुनी गई थी लेकिन उन पर निर्णय नहीं कर प्रारम्भ में कायम की गई तनकी संख्या 1व2 को निर्णित करते हुये वादीगण का वाद खारिज कर दिया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा तनकी संख्या 1 को निर्णित करते समय यह माना है कि अपीलार्थीगण को जागीर अधिनियम के तहत विवादग्रस्त भूमि आवंटन हुई है एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा आवंटन आदेश के विरूद्ध की गई अपील को भी अस्वीकार किया जाना माना है किन्तु तनकी संख्या 1 जिस प्रकार कायम की गई थी उस प्रकार निर्णित नहीं कर केवल धारा 145 जाब्ता फौजदारी के तहत भूमि कुर्क किया जाना और बाद में कब्जा ग्राम पंचायत को दिया जाना मानते हुये कब्जे के आधार पर इस तनकी को निर्णित कर दिया जबकि यह इस आधार पर निर्णित नहीं की जा सकती थी। राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। इसी प्रकार तनकी संख्या 2 जिस प्रकार कायम की है उस प्रकार निर्णित नहीं की है। राजस्व रेकार्ड जो भी अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया उससे विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थी को आवंटन किया जाना व उसके नाम दर्ज किया जाना साबित था। इस तनकी को निर्णित करते समय यह निर्णित करने का अधिकार नहीं था कि अपीलार्थी के पास विवादग्रस्त भूमि के अलावा और आराजी है, जिससे आवंटन नहीं की जा सकती। अपीलार्थी के पक्ष में डिप्टी कलेक्टर जागीर के आवंटन आदेश दिनांक 23-3-66 के विरूद्ध ग्राम पंचायत साली ने खुदकाश्त कमिश्नर जयपुर के यहां

अपील प्रस्तुत कर दी थी जो दिनांक 23-5-67 को खारिज कर दी गई। दोनेां अधीनस्थ न्यायालयों को जागीर अधिनियम 1952 के तहत अपीलार्थी को किये गये आवंटन की वैधता को देखने का अधिकार नहीं था। तनकी संख्या 2 को साबित करने के लिये अपीलार्थी ने जो साक्ष्य प्रस्तुत की थी उस पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विचार नहीं किया। इन दोनेां तनकियों के आधार पर वाद को खारिज कर दिया। जबकि अतिरिक्त तनकी संख्या 1,2व3 व प्रारम्भ में कायम की गई तनकी संख्या 5 व 6 जो तनकीयात वादीगण का वाद खारिज करने के लिये कायम की गई थी उनको निर्णित नहीं किया गया और न प्रतिवादी संख्या 2 ने इनको साबित करने के लिये कोई साक्ष्य प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय इन सभी तनकीयात को अनिर्णित रखते हुये वाद खारिज करने का अधिकार नहीं रखते थे। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

5. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम पंचायत को आवंटन हुई है इसलिये कब्जा अपीलार्थीगण वादीगण को नहीं दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत व अपीलार्थी दोनों के मध्य विवाद होने पर विवादित भूमि को कुर्क कर लिया गया था। उक्त भूमि ग्राम पंचायत को आवंटन होने के कारण अपीलार्थीगण वादीगण को कोई हक प्राप्त नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी दूदू ने दिनांक

21–5–96 को प्रार्थना पत्र आदेश 13 नियम 5 जाब्तमा दीवानी पर बहस सुनकर प्रकरण में दो प्रिमिलरी इश्यू अतिरिक्त कायम किये थे–(1) आया इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय अदालत को नहीं है– जिम्मे प्रतिवादी (2) आया दावा काल सीमा से बाहर है–जिम्मे प्रतिवादी। उक्त तनकीयात कायम कर आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि उक्त तीनों जोंडे गये इश्यू में दो प्रिमिलरी इश्यू हैं और उन्हें सर्वप्रथम निर्णित किया जाना है। अतः वास्ते बहस प्रिमिलरी इश्यूज दिनांक 15–6–96को पेश हो। लेकिन विचारण न्यायालय ने उक्त दोनों प्रिमिलरी इश्यूज पर निर्णय नहीं कर पूर्व में कायम की गई तनकीयात तनकी संख्या 1 व 2 के बाबत निर्णय पारित किया है। पूर्व में कायम की गई दो तनकीयात निम्न प्रकार हैं–

1. आया विवादग्रस्त आराजी वर्णित पैरा संख्या 2 वाद पत्र वाद संख्या 418/78 419/78,421/78,422/78 एवं 422/78से सम्बन्धित वादीगण को जागीर पुर्नग्रहण दिनांक 23–6–66 के द्वारा ग्राम खाजपुरा में खुदकाश्त के लिये अलाट की, जिसपर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।
2. आया विवादग्रस्त आराजी वर्णित पैरा संख्या 2 वाद पत्र वाद संख्या 418/78 419/78,421/78,422/78 एवं 422/78 का वास्तविक कब्जा सम्बन्धित वादीगण का राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 12–6–66 को वाद के मद नं 4 के अनुसार दिया व रघुनाथ सिंह वादीगण के अधिकृत एजेन्ट हैं।

8. विचारण न्यायालय ने पूर्व में कायम की गई उक्त तनकीयात पर अपना निर्णय पारित किया है। उक्त तनकीयात बाबत भी स्पष्ट विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया गया है। तनकी संख्या 1 के बाबत यह निर्णय पारित किया गया है कि वादीगण ने इस तनकी को सिद्ध

करने के लिये सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड पेश किया जिससे विवादित आराजी का वादीगण के नाम अलाट होनासिद्ध होता है। किन्तु बाद में उक्त आराजी के बाबत प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त आराजी बाबत अपील की गई एवं दोनों पक्षों के मध्य आपस में विवाद होने पर 145 सी आर पी सी के तहत कुर्क की जाकर कब्जे राज लिया गया, तथा बाद में प्रतिवादी संख्या 2 को कब्जा दे दिया जिस पर वर्तमान में कब्जा वादीका न होकर प्रतिवादी का है,जिससे यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है। तनकी संख्या 2 का निर्णय पारित करते हुये यह विवेचन किया गया है कि दिनांक 19-8-61 को रोटेशन ग्रेजिग के लिये ग्राम पंचायत को उक्त आराजी अलाट की गई थी ,जब से ग्राम पंचायत के कब्जे में चली आ रही है। इसलिये वादी वाद खारिज किये जाने योग्यहै। उक्त दोनों तनकीयात का विवेचन कर वादी के वाद को खारिज किया गया है। अपीलार्थी के पक्ष में डिप्टी कलेक्टर जागीर के आवंटन आदेश दिनांक 23-3-66 के विरूद्ध ग्राम पंचायत साली ने खुदकाश्त कमिश्नर जयपुर के यहां अपील प्रस्तुत कर दी थी जो दिनांक 23-5-67 को खारिज की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को जागीर अधिनियम 1952 के तहत अपीलार्थी को किये गये आवंटन की वैधता को देखने का अधिकार नहीं था। तनकी संख्या 2 को साबित करने के लिये अपीलार्थी ने जो साक्ष्य प्रस्तुत की थी उस पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विचार नहीं किया। इन दोनों तनकियों के आधार पर वाद को खारिज कर दिया। जबकि अतिरिक्त तनकी संख्या 1,2व3 व प्रारम्भ में कायम की गई तनकी संख्या 5 व 6 जो तनकीयात वादीगण का वाद खारिज करने के लिये कायम की गई थी उनको निर्णित नहीं किया गया और न प्रतिवादी संख्या 2 ने इनको साबित करने के लिये कोई साक्ष्य

प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय इन सभी तनकीयात को अनिर्णित रखते हुये वाद खारिज करने का अधिकार नहीं रखते थे। सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु इस प्रकरण में यह है कि क्या दिनांक 19-6-61को अपीलार्थी को आवंटन से पूर्व उक्त आराजी ग्राम पंचायत को आवंटन की गई है,इस बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। यदि वर्ष 1961 में उक्त आराजी ग्राम पंचायत को आवंटन की जा चुकी थी तो उसी आराजी को अपीलार्थीगण वादीगण को किस प्रकार आवंटन किया गया और जागीर कमिश्नर द्वारा ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्तुत अपील किस आधार पर खारिज की गई है और ग्राम पंचायत को 145सी आरपी सी के तहत कब्जा किस आधार पर दिया गया है, आदि इन समस्त मुख्य बिन्दुओं पर बिना विवेचन किये और सर्वप्रथम कायम किये गये दो प्रिमिलरी इश्यूज पर निर्णय पारित किये बिना ही सरसरी तौर पर वादीगण का दावा खारिज कर दिया गया है।

9. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह निर्णय के पैरा संख्या 8 में किये गये विवेचन अनुसार पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालयके समक्ष दिनांक 03/10/2019 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष